उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-2

संख्या-192/2015/2881/सेक-2-पॉच-15-7(208)/2015

लखनऊ :: दिनांक : 09 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-2608/2011 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 का प्रभावी अंश निम्नवत् है:-

> "In the ultimate analysis, we conclude and hold that Section 3(7) of the 1994 Act and Rule 8A of the 2007 Rules are ultra vires as they run counter to the dictum in M. Nagaraj (supra). Any promotion that has been given on the dectum of Indra Sawhney (supra) and without the aid or assistance of Section 3(7) and Rule 8A shall remain undisturbed."

2- मा0 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2015, दिनांक 21 अगस्त, 2015 द्वारा पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक 28 अप्रैल, 2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.1997 के बाद प्रोन्नत कार्मिकों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क) उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण) अधिनियम-1994 की धारा-3(7) के प्राविधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनांक 15.11.1997 के पश्चात् पदोन्नत कार्मिकों तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 (यथासंशोधित) के नियम-8(क) का लाभ देकर जिन कार्मिकों की पदोन्नति की गई है, उन्हें पदावनत कर दिया जाय। पदावनत कार्मिकों को वित्तीय नुकसान न हो, इसके लिए वर्तमान में कार्मिकों को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते) नियत वेतन के रूप में वैयक्तिक रूप से तब तक अनुमन्य करायी जाए, जब तक कि उनसे आसन्न वरिष्ठ कर्मी का वेतन, उसके बराबर न हो जाय, परन्तु इसके कारण वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ इन पदावनत कर्मियों को प्राप्त नहीं होगा और इस नियत वैयक्तिक वेतन के आधार पर समान वेतन दिये जाने की मांग अनारक्षित वर्ग (जिन्हें पदोन्नति मे आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) के पदधारकों द्वारा इस आधार पर नहीं की जायेगी कि पदावनत कर्मी उनसे कनिष्ठ हैं।

(ख) दिनांक 15.11.1997 के पश्चात् पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम-8(क) का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों से कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हों, उस स्तर पर उन्हें पदावनत किया जाय।

3- अत: कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2015, दिनांक 21 अगस्त, 2015 के प्राविधानों के अनुपालन में सम्यक विचारोपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक 28.04.2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.1997 के बाद प्रोन्नत निम्न

कार्मिकों को उनसे कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हैं, के स्तर तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद पर तात्कालिक प्रभाव से पदावनत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	चिकित्साधिकारी का नाम एवं वरिष्ठता क्रमांक	वर्तमान पदनाम	पदावनत पद का नाम
1	2	3	4
1	डा0 मूल चन्द्र/9813	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
2	डा0 लोकेश कुमार/9890	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
3	डा0 अनुपम प्रकाश/9973	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
4	डा0 संजय कुमार दोहरे/ 9974	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
5	डा0 राम शिष्य राम/9986	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
6	डा0 कालेश्वर प्रसाद सिंह /9995	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
7	डा0 हंसराज सिंह/10001	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
8	डा0 सुरेन्द्र पटवार/10006	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
9	डा0 अजय कुमार/10012	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
10	डा0 शिव नाथ सिंह/10014	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
11	डा0 प्रताप सिंह/10015	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
12	डा0 रमेश चन्द्र गोपाल/ 10018	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
13	डा0 शशि कुमार/10030	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
14	डा0 बसन्त राम/10038	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
15	डा0 श्रीकृष्ण जौहरी/10047	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
16	डा0 सुग्रीव बाबू/10049	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
17	डा0 डाल चन्द्र दोहरे/10051	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)

18	डा0 राजेन्द्र कुमार/10066	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
19	डा0 उदयवीर सिंह/10067	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
20	डा0 माया देवी/10284	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
21	डा0 हेमलता दीपक/10434	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
22	डा0 अनीता सिंह/10445	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
23	डा0 सुनीता कुमारी/10459	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
24	डा0 नूतन सोनकर/10463	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
25	डा0 नलिनी गबरियाल/10507	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
26	डा0 मंजू रानी/10513	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
27	डा0 नीलम अहिरवार/11271	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)
28	डा0 चित्रा सोनकर/11484	संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4)	परामर्शदाता (लेवल-3)

4- उपर्युक्त पदावनत कार्मिकों को वित्तीय नुकसान न हो, इसके लिए वर्तमान में कार्मिकों को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते) नियत वेतन के रूप में वैयक्तिक रूप से तब तक अनुमन्य करायी जाय, जब तक कि उनसे आसन्न वरिष्ठ कर्मी का वेतन उनके बराबर न हो जाय, परन्तु इसके कारण वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ इन पदावनत कार्मिकों को प्राप्त नहीं होगा और इस नियत वैयक्तिक वेतन के आधार पर समान वेतन दिये जाने की मांग अनारक्षित वर्ग (जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) के पदधारकों द्वारा इस आधार पर नहीं की जायेगी कि वे उनसे वरिष्ठ हैं।

अर्थात् पदावनत किये जाने पर आरक्षित श्रेणी के कार्मिक को पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा तथा आसन्न वरिष्ठ कर्मी का वेतन बराबर होने तक पदावनत कार्मिक को पदावनत पद के वेतनमान में वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी, किन्तु उक्त वेतनवृद्धि की धनराशि उसके वैयक्ति वेतन में समायोजित होती रहेगी, अर्थात् पदावनत कार्मिक की कुल परिलब्धियां फ्रीज रहेंगी।

अर्थात् पदावनत किये जाने पर आरक्षित श्रेणी के कार्मिक का वेतन आसन्न वरिष्ठ कार्मिक के वेतन के बराबर निर्धारित किया जाएगा तथा पदावनत किये जाने पर आरक्षित श्रेणी के कार्मिक एवं आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियों का जो अन्तर होगा, वह नियत वेतन के रूप में वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराया जायेगा। यह वैयक्तिक वेतन प्रतिवर्ष अनुमन्य होने वाली वार्षिक वेतनवृद्धि में समायोजित होता जायेगा, अर्थात् वैयक्तिक वेतन उस सीमा तक कम

होता रहेगा, जब तक कि आसन्न वरिष्ठ कार्मिक का वेतन तथा पदावनत कार्मिक का वेतन बराबर न हो जाय।

5- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिक, पदावनति के पश्चात् पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधाएं प्राप्त करेंगे तथा पदावनत कर्मी के वेतन निर्धारण की कार्यवाही कार्मिक अनुभाग-2 के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 21.08.2015 में दी गयी व्यवस्थानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-192/2015/2881(1)/सेक-2-पांच-15, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से कि अपने स्तर से संबंधित चिकित्साधिकारी को परिचालित कराने एवं उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
6- समस्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।
8- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ/चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
9- समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
10- समस्त प्रमुख अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय जिला पुरूष/महिला चिकित्सालय, उ0प्र0।
11- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
12- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
13- समस्त संबंधित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
14- संबंधित चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल अपनी वर्तमान तैनाती स्थान पर योगदान करते हुए योगदान आख्या शासन/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को उपलब्ध करायें।
15- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।